

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 26/01/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 25.01.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गोतर्स्करी में वांछित 25-25 हजार रु0 के ईनामियां 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 01 अदद वर्ना हुन्डई वाहन सं0-UP67V5555, 02 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.01.2026 को थानाध्यक्ष करण्डा मय टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2026 धारा-109(1),325 बीएनएस, 3/25 आम्र्स एक्ट व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण 01. बाधी यादव उर्फ युधिष्ठिर यादव पुत्र श्रवण यादव 2. सुमित कुमार उर्फ विकास पुत्र धूरेलाल को मुखबिर खास की सूचना पर बड़सरा बाई पास से धेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया । खुद को धिरा देखकर दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गई तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गये। जिन्हें तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-12/26 धारा-109(1) बीएनएस व 3/25 आम्र्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी-

01 अदद वर्ना हुन्डई वाहन सं0-UP67V5555, 02 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- बाघी यादव उर्फ युधिष्ठिर यादव पुत्र श्रवण यादव ग्राम भिखारीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 26 वर्ष
- सुमित कुमार उर्फ विकास पुत्र धूरेलाल ग्राम भिखारीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण –

- बाघी यादव उर्फ युधिष्ठिर यादव पुत्र श्रवण यादव ग्राम सिंहपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 26 वर्ष मु0अ0सं0-06/26 धारा-109(1), 325 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिरो थाना करण्डा गाजीपुर मु0अ0अं0-100/19 धारा-60/63/72 आबकारी अधिरो थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर मु0अ0सं0-67/21 धारा-272, 419,420,467,467,471 भादवि व 60ए आबकारी अधिरो थाना खानपुर जनपद गाजीपुर मु0अ0सं0-179/22 धारा-3(1) उ0प्र0 गैगै0 एक्ट थाना खानपुर जनपद गाजीपुर मु0अ0सं0-214/22 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाजीपुर मु0अ0सं0-58/23 धारा-272,419,420,467,467,471 भादवि व 60,60ए आबकारी अधिरो खानपुर जनपद गाजीपुर मु0अ0सं0-55/19 धारा-3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधिरो व 11 पशु क्रुरता अधिरो थाना कन्द्वा जनपद चन्दौली

2. सुमित कुमार उर्फ विकास पुत्र धूरेलाल ग्राम भिखारीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

- मु0अ0सं0-06/26 धारा-109(1), 325 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिरो थाना करण्डा गाजीपुर मु0अ0सं0-231/24 धारा-3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिरो थाना नन्दगांज जनपद गाजीपुर

02. थाना गहमर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 276/2025 धारा 191(2),191(3),103(1),61(2),238,3(5),324(6),103(2) बीएनएस से सम्बन्धित 25000/- रु0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा सेवराई नहर के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 276/2025 धारा 191(2),191(3),103(1),61(2),238,3(5),324(6),103(2) बीएनएस से सम्बन्धित 25000/- रु0 के इनामिया अभियुक्त शैलेश कुमार सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आला कत्ल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

शैलेश कुमार सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम खेलूराय पट्टी थाना गहमर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 171/2024 धारा 115(2),352,351(3)324(4) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर
- मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2),352,351(3) बीएनएस 7 C.L.A एक्ट थाना गहमर जनपद गाजीपुर

3. मु0अ0सं0 276/2025 धारा 191(2),191(3),103(1),61(2),238,3(5),324(6),103(2) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

1.एक अदद आला कत्ल लोहे की सरिया (रॉड)

3. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 25.01.2026 को उ0नि0 राकेश कुमार मिश्र मय हमराह थाना कासिमाबाद द्वारा मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मुहम्मदाबाद, गाजीपुर कोर्ट सं0-2 के द्वारा निर्गत NBW फौ0मु0नं0-470/22 धारा 323/504 भादवि से संबंधित वारंटी/अभियुक्त संजय चौहान पुत्र स्व0 बिल्लर चौहान उम्र करीब 38 वर्ष नि0 शहवाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा वारंटी का नाम व पता –

1 . संजय चौहान पुत्र स्व0 बिल्लर चौहान उम्र करीब 38 वर्ष नि0 शहवाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

4. थाना नोनहरा पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें से सम्बंधित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बैट्री बरामद ।

संक्षिप्त विवरण - दिनांक 19.01.2026 को अज्ञात चोर द्वारा वादी श्री राकेश कुशवाहा पुत्र संग्राम कुशवाहा निवासी ग्राम मोलनापुर के दुकान का ताला तोड़कर इन्वर्टर बैट्री, ब्लूटूथ, डाटा केवल व चार्जर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 25.01.2026 को उ0नि0 रामानन्द सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम करते हुए रसूलपुर चट्ठी पर मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त हरिन्द्र कुमार उम्र 19 वर्ष व शेखर कुमार उम्र 20 वर्ष को मुकदमा उपरोक्त में चोरी की बैट्री के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ - कड़ाई से पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोगों ने कुछ दिन पहले मोलनापुर चट्ठी पर एक दुकान में से इस बैट्री को चुराये थे, आज इस बैट्री को बेचने के लिये साधन का इन्तजार कर रहे थे कि तभी आप लोगों ने पकड़ लिया। चोरी किये गये अन्य माल ब्लू टूथ, डाटा केबल व चार्जर के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि साहब राह चलते पैसा न होने के कारण बेच दिया गया था।

बरामदगी – 01 अदद लाल रंग की बैट्री (EXIDE INVAMASTER)

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. हरिन्द्र कुमार पुत्र स्व0 अम्बिका राम निवासी ग्राम बड़ौरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष
2. शेखर कुमार पुत्र श्री जवाहिर राम निवासी ग्राम इंग्लिशपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 26/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2) BNS थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर